<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 175 / 2024

पूजा देवी वगैरह बनाम धर्माराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2026	वकील उभय पक्ष मय पक्षकार उपस्थित। अप्रार्थी धर्माराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 379, 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पर सुना गया, जिसमें अप्रार्थी ने भरण–पोषण के प्रार्थना पत्र को असत्य एवं आधारहीन होना बताया है। प्रार्थना पत्र में यह भी अंकन है कि प्रार्थीया ने अपना निवास स्थान गलत बताया है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में अप्रार्थी के पास गांव कुचेरा में 15 बीघा कृषि भूमि जमीन बताई है, जबकि शपथ पत्र में गांव कुचेरा में 32 बीघा कृषि भूमि जमीन बता रही है, जबकि सत्यता यह है कि अप्रार्थी व उसके पिता के पास गांव कुचेरा में रहवासी मकान के अलावा किसी प्रकार की कृषि भूमि नहीं है, जिसके आधार पर प्रार्थीया पर 379, 215 बीएनएसएस की कार्यवाही अमल में लाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया और निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए :– • Sanjeev Kumar Gupta V/s State Of Nct, Criminal miscellaneous case case No. 5/2017 date of decision 04/01/2017 • Himanshu Kumar and others V/s State Of Chhatisgarh Wp (Criminal) No. 103/2009 Order Date 14/07/2022 • Permul V/s Janaki Criminal Appeal No. 169/2014	

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रार्थीया को दिलवाए जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रार्थीया की ओर से पेश कर कथन किया गया कि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन है और आगे यह भी अंकन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है तथा अप्रार्थी द्वारा अभी तक जबाब भी पेश नहीं किया गया है तथा बिना लिखित जबाब प्रस्तुत किये व बिना साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण किये प्रार्थीया के विरूद्ध धारा 379, 215 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्यवाही की मांग करना विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विधि का स्थापित सिद्धान्त किसी भी पक्षकार द्वारा लगए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की कार्यवाही के दौरान किया जाता है। साक्ष्य से पूर्व ही प्रार्थीया को झूठा बताकर दंडात्मक कार्वाही की मांग करना पूर्णतः अनुचित एवं असवैधानिक है। अप्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र केवल न्यायालय की कार्यवाही को लंबित रखने एवं भरण पोषण की वैधानिक जिम्मेदारी से बचने का एक प्रयास मात्र हैं। दहेज मांग व क्रूरतापूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने पुलिस थाना डेगाना में मुकदमा दर्ज करवाया है, जो अनुसंधानरत है। प्रार्थीया ने मूल प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि अप्रार्थी व उसके परिजनों द्वारा प्रार्थीया से दहेज मांग की जाती रही है। दहेज नहीं लाने के कारण प्रार्थीया के साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता की गई है एवं प्रार्थीया व उसकी नाबालिग बच्ची को घर से बेदखल कर दिया गया हैं। दहेज प्रताड़ना के मामलों की प्रकृति ऐसी होती है कि अधिकांश घटनाएं परिवार के भीतर एवं चारदीवारी के अंदर घटित होती है, जहां सामान्यतः कोई स्वतन्त्र दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में पीड़िता के बयान, पारिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा अन्य मौखिक

साक्ष्य ही मुख्य आधार होते हैं, इसलिये केवल इस आधार पर प्रार्थीया द्वारा दहेज मांग के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थीया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। दहेज प्रताडना के मामलों में पीड़िता का सुसंगत एवं विश्वसनीय बयान भी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है, जिसका परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की कार्यवाही के दौरान किया जाता हैं। अतः अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन किया गया। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थीया के कुछ वीडियो तथा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फोटो पेश करके यह दर्शित करने का प्रयास किया है कि प्रार्थीया का स्त्रीधन प्रार्थीया के पास ही है। न्यायालय के विनम्र मत में इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय नहीं देना है। प्रकरण में साक्ष्य के दौरान अप्रार्थी उक्त साक्ष्य पेश करने हेतु स्वतंत्र है। जहां तक प्रार्थीया द्वारा अपने शपथ पत्र में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि 32 बीघा होने का अंकन किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में वकील प्रार्थीया ने प्रार्थीया के दादा ससुर की खातेदारी की जमाबन्दी पेश की है, जिसके अनुसार प्रार्थीया के ससुराल पक्ष के पास करीब 5.1476 हैक्टेयर कृषि भूमि मौजूद है, जो करीबन 32 बीघा के आस–पास बैठती है। वकील प्रार्थीया का एक तर्क यह भी है कि शादी के समय प्रार्थीया को उसके ससुराल वालों ने यही बताया था कि उनके पास 32 बीघा जमीन है। इस कारणवश प्रार्थीया ने अपने आय–व्यय के शपथ पत्र में 32 बीघा जमीन होना

अंकन किया है। इसके अलावा साक्ष्य के अभाव में इस स्तर पर उक्त शपथ पत्र के कथन असत्य साबित नहीं माने जा सकते हैं। मूल प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय अप्रार्थी इस संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। चूंकि इस स्तर पर पत्रावली पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के विरूद्ध कार्यवाही के आधार मौजूद नहीं है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विश्लेषण के अनुसरण में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 379, 215 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण दिनांक 23.08.2024 से लंबित है, परंतु अप्रार्थी की ओर से न तो जवाब पेश किया जा रहा है और न ही अंतरिम भरण–पोषण पर बहस सुनाई जा रही है। अप्रार्थी को अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र व बहस अंतरिम हेतु दिनांक 30.03.2026 को पेश हो।